रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092021-229454
CG-DL-E-07092021-229454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943
No. 501] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 615(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम, 2021 का प्रारूप, जिसे केंद्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 215ख की उप-धारा (1), धारा 215ग की उप-धारा (1) और धारा 215ग की उप-धारा (2) के उप-खंड (ग), उप-खंड (घ) तथा उप-खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 754(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां, जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 8 दिसंबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया था ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटन यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 215ख की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 215ख की उप-धारा (1), धारा 215ग की उप-धारा (1) और धारा 215ग की उप-धारा (2) के उप-खंड (ग), उप-खंड (घ) तथा उप-खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''अधिनियम'' से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) ''बोर्ड'' से धारा 215ख की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) ''अध्यक्ष'' से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) ''सदस्य'' से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) ''धारा'' से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं ।

3. अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं—(1) बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य प्रशासन, सड़क सुरक्षा, शहरी योजना, विधि, यातायात प्रबंधन और विनियमन, स्वास्थ्य और वकालत, पुलिस प्रवर्तन और अन्वेषण, परिवहन इंजीनियरी, बीमा, आटोमोबाइल इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी, लोक परिवहन, जो केंद्रीय सरकार की राय में बोर्ड के लिए इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोगी है, रखने वाले योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा ।

(2) राज्य सरकार के प्रतिनिधि और भारत सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि अंश-कालिक सदस्य होंगे। बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे तथा कोई अन्य पद धारित नहीं करेंगे ।

4. नियुक्ति की प्रक्रिया—बोर्ड का अध्यक्ष और इसके सदस्य, केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति से चयनित होंगे और उनकी नियुक्ति को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा :

(क) बोर्ड का अध्यक्ष और उसके सदस्य, केंद्रीय सरकार द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में खोज-सह-चयन समिति के सुझाव पर नियुक्त किए जाएंगे।

(ख) भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि, जो उपसचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, पदेन सदस्य होगा ।

(ग) राज्यों से भारत सरकार के उप-सचिव से अन्यून पंक्ति के सदस्य, आवश्यकतानुसार, पदेन-सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(घ) नियुक्ति की प्रक्रिया, रिक्ति के उद्भूत होने के कम से कम छह मास पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ की जाएगी और अध्यक्ष या किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण किसी पद की रिक्ति की दशा में, यह प्रक्रिया पद के रिक्त होने के पश्चात् तुरंत प्रारंभ की जाएगी ।

(ङ) अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए किसी रिक्ति का विज्ञापन कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और उसे ऐसी रीति में परिचालित किया जाएगा जिसे केंद्रीय सरकार उचित समझे।

IndiaCode

(च) विज्ञापन के उत्तर में आवेदनों के अलावा, खोज-सह-चयन समिति ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों पर विचार कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे।

(छ) खोज-सह-चयन समिति पात्रता, उपयुक्तता, पूर्व के प्रदर्शन का रिकार्ड और अन्य मानदंड, जिसे वह उचित समझे, को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव देने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी।

(ज) खोज-सह-चयन समिति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के विचार के लिए योग्यता के क्रम में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के नामों के एक पैनल का सुझाव करेगी।

(झ) अध्यक्ष और किसी सदस्य की प्रत्येक नियुक्ति किसी सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित इन नियमों से संलग्न उपाबंध में यथा उपदर्शित शारीरिक योग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगा ।

5. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल—(1) किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति करने से पूर्व, केंद्रीय सरकार स्वयं का समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित तो नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य, ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो ऐसी तारीख से जब तक वह अपना पद ग्रहण करता है, से तीन वर्ष की अवधि से अधिक न हो और अधिकतम एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

परंतु यह और कि कोई सदस्य बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष और उसके सदस्यों का पारिश्रमिक और पूर्वापेक्षा, केंद्रीय सरकार के विद्यमान मानदंडों के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत किया जाएगा ।

6. अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र.- (1) नियम 7 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व तीन मास से अन्यून अग्रिम में लिखित सूचना देकर किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा ।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य उप-धारा (1) के अधीन नोटीस देने के पश्चात् रिक्त हुए पद पर जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है या नोटीस की प्राप्ति की तारीख से तीन मास बीत जाने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा ।

7. अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाना.- केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो

(क) दिवालियां है, या किसी भी समय एक न्यायनिर्णित दिवालिया हो गया है ; या

(ख) किसी ऐसे अपराध दोष-सिद्ध किया गया है, जो केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता के अंतर्गत आता है; या

(ग) अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शारिरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे एक सदस्य सचिव के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना है; या

(ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में, अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के लिए अहितकर हो; या

IndiaCode

(च) अपनी पदावधि के दौरान किसी अन्य नियोजन में कार्य करने लगा हो; या

(छ) सदस्य के मामले में अध्यक्ष को और अध्यक्ष के मामले में केन्द्रीय सरकार को सूचित किए बिना सात दिन से अधिक अवधि के लिए बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने कार्यालय से या कर्तव्यों के पश्चात्वर्ती निर्वहन से अनुपस्थित रहा हो ।

परन्तु जहां अध्यक्ष या सदस्य का खंड (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित है तो उन्हें उनके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी और उन आरोपों के संबंध में उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

8. बोर्ड के सदस्यों के नियोजन का निर्बंधन.- बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करने से परिवरित हो जाता है, एक वर्ष की अवधि तक इस अधिनियम के अधीन बोर्ड से संबंधित कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा ।

परन्तु इस धारा के उपबंध वैसे मामले में लागू नहीं होंगें जहां इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से लिखित में विनिर्दिष्ट प्राधिकार प्राप्त कर लिया गया है ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के समाधान के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पदधारण से विरत होने के एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी अभिकर्ता, प्रशासक, अधिकारी, प्रतिधारक, कार्यकारणी समिति का सदस्य या शेयरधारक या इक्विटी स्वामी या लाभकारी स्वामी के रूप में कार्यरत अध्यक्ष या किसी सदस्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होने का अर्थ लगाया जाएगा ।

9. बोर्ड के अधिकारी या अन्य कर्मचारी.- बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए जो वह आवश्यक समझता है, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति के आधार पर या संविदा के आधार पर ऐसे वेतन और भत्ते जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं के संदाय पर नियुक्त कर सकेगा ।

10. बोर्ड की शक्तियां और कृत्यें.- (1) बोर्ड, सडक सुरक्षा, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने और यातायात तथा मोटर यान विनियमन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) अध्यक्ष बोर्ड के कार्यों के संचालन के साधारण अधीक्षण और निदेशन की शक्ति रखेगा ।

(3) बोर्ड, उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार के लिए बोर्ड के कृत्यों के संबंध में दिशानिर्देशों को बनाएगा;

(क) देश में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट मानकों को बनाया जाना;

(ख) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के प्रशासन पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करना;

(ग) सुरक्षा उपस्करों की लागतों का अवधारण;

(घ) राज्य प्राधिकारियों के साथ सलाह करके व्यवसायिक स्थापनों, सूचना पट्टों और व्यवसायिक संकेतकों के विनियमन के लिए एक विनियामक ढांचा विकसित करना;

(ङ) सड़को और राजमार्गों पर यातायात संबंधी क्षतियों से निपटने के लिए ट्रामा सुविधाओं और परा-चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना और संचालन के लिए दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट करना;

(च) ऐसी सहायता को सुकर बनाने वाले के जीवन को कोई अड़चन पहूंचाए बिना सड़क दुर्घटना के पीडितों के लिए अधिकतम सहायता सुनिश्चित करने के लिए नेक व्यक्ति के सिद्धांत को सम्प्रवर्तित करना;

(छ) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से निपटने वाले यातायात पुलिस, अस्पाताल प्राधिकारियों, राजमार्ग प्राधिकारियों, शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों और अन्य संगठनों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट करना;

(ज) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में अच्छी प्रथाओं की अभिवृद्धि करना और उसका समर्थन करना, सड़क सुरक्षा और यातायात शिक्षा कार्यक्रमों को चलाना और सड़क प्रयोक्ताओं के सभी वर्गों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाना;

(झ) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में पणधारकों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना और दक्षतापूर्वक यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा प्रथाओं के संवर्धन में उनकी सहायता करना;

(ञ) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित मामलों में अन्य अभिकरणों जैसे शिक्षा बोर्ड और संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय रखना;

(ट) सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं और स्कीमें;

(ठ) सड़क परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षित और सतत उपयोग को सुकर बनाना;

(ड) वार्षिक रूप से इसके द्वारा तक किए गए संपादन लक्ष्य;

(ढ) धारा 2ख के अनुसार साधारण रूप से वाहन इंजीनियरी, यंत्र नोदित वाहनों और यातायात के क्षेत्रों में नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम से नई वाहन प्रौद्योगिकी का संवर्धन करना;

(ण) अरक्षित सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा;

(त) मोटर वाहनों और सड़कों के लिए अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान देना;

(थ) मोटन वाहन मानकों के कार्यों पर अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय की अभिवृद्धि करना;

(द) अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू तकनीकी मानकों के बीच निरंतरता की अभिवृद्धि करना और यह सुनिश्चित करना कि देश में अपनाए गए सुरक्षा के स्तर से कोई समझौता न किया गया हो;

(ध) डाटा एकत्र करके अनुसंधान करना और सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, दुर्घटना जांच में सुधार के लिए विश्लेषण और योजना गतिविधियों का संचालन करना और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यथावश्यक अन्य उपाय करना;

(न) सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए ऐसी योजनाओं को तैयार करना और लागू करना जो आवश्यक हो;

(प) तकनीकी सहयोग, गतिविधियों का समन्वय, सूचना और डाटा संग्रहण का आदान-प्रदान, संयुक्त परियोजनाओं का विकास और कार्यान्वयन तथा इसके उत्तरदायित्व के भीतर आने वाले क्षेत्रों में विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान;

(फ) प्रतिस्पर्धा, नवपरिवर्तन, दक्षता और संसाधनों के आर्थिक उपयोग को प्रोत्साहित करना।

11. बोर्ड की बैठकें.-- (1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेंगे तथा उसकी बैठकों, जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों के लिए गणपूर्ति भी है, के कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेंगे जो बोर्ड द्वारा विहित किए जाएं ।

IndiaCode

(2) अध्यक्ष या अन्य सदस्य, जिनका बोर्ड की बैठक में विचार किए जाने के लिए रखे जाने वाले किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है, वह जैसे ही उसके ज्ञान में आता है, हित की प्रकृति बोर्ड को प्रकट करेगा ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन अध्यक्ष या सदस्य द्वारा किया गया प्रकटन, बैठक की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और अध्यक्ष तथा ऐसा सदस्य उस मामले या उससे संतक्त किसी अन्य मामले की बाबत बोर्ड के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय से अलग रहेगा:

परंतु यदि अध्यक्ष स्वयं को बोर्ड की कार्यवाहियों से अलग रखता है तो वह उस मामले में अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए बोर्ड के किसी सदस्य को पदाभिहित करेगा:

परंतु यह और भी यदि कोई सदस्य, स्वयं को बोर्ड की कार्यवाहियों से अलग रखता है, तो केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत करेगी ।

(4) बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय इस संबंध में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

(5) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाहियां, केवल बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने के आधार पर ही प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं होगा ।

12. तकनीकी कार्य समूह.--(1) बोर्ड, अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए अनेक तकनीकी कार्य समूह जो वह उचित समझे गठित करेगा, जिसमें अपने कृत्यों के निर्वहन में स्वतंत्र निर्णय की क्षमता का अनुरक्षण और प्रयोग करने का सामर्थ्य रखने वाले स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे ।

(2) उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन गठित प्रत्येक तकनीकी कार्य समूह की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित बोर्ड के सदस्य द्वारा की जाएगी, जो सुसंगत क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखता हो ।

(3) तकनीकी कार्य समूह, अपने को न्यस्त किए गए मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए अपने विचार-विमर्शों में भाग लेने के लिए सुसंगत उद्योग और उपभोक्ता के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा ।

(4) उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन तकनीकी कार्य समूह का गठन करने के लिए तकनीकी सदस्यों की संख्या और प्रक्रिया ऐसी होगी, जो बोर्ड द्वारा विनियमों के अधीन विहित की जाए ।

(5) उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक तकनीकी कार्य समूह को निम्नलिखित मामलों में से किन्हीं मामलों को न्यस्त किया जा सकेगा, अर्थात्:--

(क) परिवहन अवसंरचना और सुरक्षा, जिसके अंतर्गत सड़क मानक भी हैं;

(ख) यातायात प्रबंधन;

(ग) ध्वंस अनुसंधान और फोरेंसिस;

(घ) आंकड़ा एकत्रण और विश्लेषण;

(ङ) मोटर यान मानक ;

(च) चालन कौशल परीक्षण ;

(छ) प्रौद्योगिकी का विकास, एल्कोहल या मादक ओषधी के प्रभाव के अधीन अथवा अत्यधिक गति से मोटर यान के चालन की जांच करने के लिए उसका उपयोग और परीक्षण मानक ;

(ज) पहले से ही उपयोग किए जा रहे यानों का निरीक्षण और प्रमाणन ;

(झ) यान की ईंधन क्वालिटी ;

(ञ) यान ध्वनि के मानक ;

(ट) मोटर यानों के संबंध में तीसरा पक्षकार बीमा ;

(ठ) कोई अन्य मामला जिसे ऐसे तकनीकी कार्य करने के लिए न्यस्त किया जाना बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए ।

(6) बोर्ड, ऐसे तकनीकी समूहों के विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाकर या घटाकर अथवा उसे न्यस्त मामलों में परिवर्तन कर तकनीकी कार्य संघों का समय-समय पर पुनर्गठन कर सकेगा ।

(7) बोर्ड, तकनीकी कार्य समूहों के निर्बाध कृत्यकारी के लिए प्रशासनिक, वित्तीय और अनुसंधान सहायता प्रदान करेगा ।

13. बोर्ड की समनुदेशन की शक्ति.— बोर्ड, साधारण या विशिष्ट लिखित आदेश द्वारा बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी को या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति को, यदि कोई हो, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपने इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों को, जिन्हे वह आवश्यक समझे समनुदेशित कर सकेगा ।

14. अध्यक्ष, सदस्य, आदि का लोकसेवक होना.—बोर्ड का अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोकसेवक समझे जाएंगे ।

[फा.सं. आरटी-16011/01/2015-आरएस (भाग 2)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

[नियम 4(झ) देखें]

[शारीरिक योग्यता का प्रमाण पत्र]

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने श्री/श्रीमती/सुश्री …….. की जांच की है और मैनें उनमे, सिवाय के, किसी बीमारी (संक्रामक या अन्य प्रकार की), स्वास्थकर कमजोरी या शारीरिक दुर्बलता नहीं पाया है। मैं इसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड में सदस्य/अध्यक्ष के रूप में उनका/उनकी नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं मानता हूँ।

दिनांक……..

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर:

पद:

(सिविल सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2021

G.S.R. 615(E).—Whereas, the draft of the National Road Safety Board Rules, 2021 were published, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 215B, sub-section (1) of section 215C and sub-clauses (c), (d) and (e) of sub-section (2) of section 215C of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways G. S. R. 754(E), dated the 8th December, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i) as required under sub-section (1) of section 212 of the said Act for inviting objections and suggestions from

persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette in which notification was published and were made available to the public on 8th December, 2020;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules within specified period considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 215B, sub-section (1) of section 215C and sub-clauses (c), (d) and (e) of sub-section (2) of section 215C, read with sub-section (1) of Section 215B of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short Title and commencement.- (1) These rules may be called the National Road Safety Board Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) 'Act' means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) Board" means the National Road Safety Board constituted under sub-section (1) of section 215B;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(d) "Member" means a member of the Board;

(e) "Section" means a section of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined and defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Qualifications of Chairman and Members.- (1) The Chairman and every Member of the Board shall be a person of ability, integrity and standing, having special knowledge of, or professional experience in, one or more fields of administration, road safety, urban planning, law, traffic management and regulation, health and advocacy, police enforcement and investigation, transport engineering, insurance, automobile engineering, civil engineering, public transport which, in the opinion of the Central Government, is useful for the Board to render its functions and fulfil its objectives under this Act.

(2) State Government representatives and Government of India's official representative will be part time members. The Chairman and other Members of the Board shall be whole-time Members and shall not hold any other office.

4. Procedure for appointment.- The Chairman of the Board and its Members shall be selected in the following manner by the Central Government and their appointment shall be notified in the Official Gazette:-

(a) The Chairman of the Board or its Members shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Search-cum-Selection Committee, headed by Secretary, Ministry of Road Transport & Highways.

(b) A representative of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, not below the rank of Deputy Secretary, shall be an ex-officio Member.

(c) members from the States, not below the rank of Deputy Secretary in Government of India, shall be nominated as ex-officio Members, as per requirement.

(d) The process of appointments shall be initiated by the Central Government at least six months before the vacancy arises and in case a post falls vacant due to resignation or death of the Chairman or a Member, the process shall be initiated immediately after the post has fallen vacant.

(e) The advertisement of a vacancy inviting applications for the Chairman and Member shall be published in at least 2 newspapers and circulated in such other manner as the Central Government may deem appropriate.

(f) Apart from applications in response to the advertisement, the Search-cum-Selection Committee may consider other suitable person(s) as it may deem fit.

(g) The Search-cum-Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation keeping in view the eligibility, suitability, record of past performance and such other criteria as it may deem fit.

(h) The Search-cum-Selection Committee shall recommend a panel of names of candidates for appointment in the order of merit for the consideration of Minister of Road Transport and Highways.

(i) Every appointment of a Chairman or a Member shall be subject to submission of a certificate of physical fitness as indicated in the annexure appended to these rules, duly signed by a civil surgeon or District Medical officer.

5. Term of office of Chairman and other Members.- (1) Before appointing any person as a Chairman or Member, the Central Government shall satisfy itself that such person has no financial or other interest that may be prejudicial to his functions as such Chairman or Member.

(2) The Chairman or a Member of the Board shall hold office for such period not exceeding three years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment for a maximum of one more term:

Provided that in case of a person, who has been appointed as Chairman of the Board, shall not hold office after he has attained the age of sixty five years:

Provided further that no member shall hold office after he has attended the age of sixty two years.

(3) The remuneration and prerequisites of the Chairman of the Board and its Members shall be fixed by the Central Government in accordance with the prevailing norms of the Central Government.

6. Resignation of Chairman and Members.- (1) Notwithstanding anything contained in Rule 7, the Chairman or a Member of the Board may resign office at any time before the expiry of his term, by giving to the Central Government an advance notice in writing of not less than three months.

(2) The Chairman or a Member of the Board, after giving notice under sub-rule (1), shall continue to hold office until the Central Government appoints a person to the office so vacated, or till the expiry of three months from the date of receipt of notice, whichever is earlier.

7. Removal of Chairman and Members:- The Central Government may remove from office the Chairman and any Member, who-

(a) is, or at any time has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of discharging his duties; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member Secretary; or

(e) has, in the opinion of the Central Government, so abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest; or

(f) has engaged at any time during his term of office in any other employment; or

(g) has remained absent from his office and subsequent discharge of duties without any reasonable cause for a period of more than seven days, without informing the Chairman in case of Member and the Central Government in case of the Chairman.

Provided that where Chairman or Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (a) to (g), he shall be informed the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

8. Restrictions of employment of Member of the Board.- The Chairman or a Member of the Board shall not, for a period of one year from the date on which he ceases to hold office as such, accept any employment relating to the Board under this Act.

Provided that the provisions of this section shall not apply in cases where specific authorisation in this regard has been obtained in writing from the Central Government.

Explanation — For the removal of doubts, it is hereby clarified that, the Chairman or a Member acting as an agent, administrator, officer, director, retainer, Member of the executive committee or shareholder or equity owner or beneficial owner before the expiry of one year on ceasing to hold office as such Chairman or a Member shall be construed to have direct or indirect interest.

9. Officers and other employees of Board.- The Board may, with the prior approval of the Central Government, appoint such officers and other employees as it may consider necessary, for the efficient

discharge of its functions under the Act, on deputation from the Central Government or State Government or on contract basis on the payment of such salaries and allowances, as may be determined by the Board.

10. Powers and Functions of the Board:- (1) The Board shall be responsible for promoting road safety, innovation and adoption of new technology and for regulating traffic and motor vehicles.

(2) The Chairman shall have powers of general superintendence and directions in the conduct of affairs of the Board.

(3) For the purposes of sub-rule (1), the Board shall, for consideration by the Central Government, formulate guidelines relating to functions of the Board:

(a) the formulation of specific standards for road safety, traffic management and road construction for hilly regions in the country;

(b) provide technical advice and assistance to the Central Government, State Government and local authorities on administration of road safety and traffic management;

(c) the determination of costs of safety equipment;

(d) develop, in consultation with State authorities, a regulatory framework for regulation of commercial establishments, billboards and commercial signage;

(e) specify guidelines for establishing and operating trauma facilities and para-medical facilities for dealing with traffic related injuries on roads and highways;

(f) promote the principle of Good Samaritan so as to ensure maximum aid for victims of a road accident without causing any impediment to the life of those facilitating such aid;

(g) specify guidelines for capacity building and development of skills for traffic police, hospital authorities, highway authorities, educational and research organisations and other organisations dealing with road safety and traffic management;

(h) promote good practices in road safety and traffic management and advocacy of the same, undertake road safety and traffic education programmes, and conduct campaigns to create awareness amongst all sections of road users;

(i) involve stakeholders and non-government organisations working in the area of road safety and traffic management, and assist them in promotion of efficient traffic management and road safety practices;

(j) co-ordinate with other agencies such as education boards and institutions, health services and non-government organisations in matters relating to road safety and traffic management;

(k) public-private partnership projects and schemes;

(l) the facilitation of safe and sustainable utilisation of road transport ecosystem;

(m) the performance targets set by it annually;

(n) the promotion of new vehicle technology through innovation, research and development in the fields of vehicular engineering, mechanically propelled vehicles and transportation in general as per section 2B;

(o) the safety of vulnerable road users;

(p) contribute to the development of international technical standards for motor vehicles and roads;

(q) promote co-ordination with the international governmental organisations and non-governmental organisations on the work of motor vehicle standards;

(r) promote consistency between international technical standards and domestic technical standards and ensure that the level of safety adopted in the country is not compromised;

(s) conduct research, by way of collecting data and undertake analysis and planning activities to improve road safety, traffic management, crash investigation and such other measures as may be necessary for the purposes of this Act;

(t) prepare and implement such plans as may be necessary to improve road safety;

(u) establish a network of organisations to facilitate technical co-operation, co-ordination of activities, exchange of information and data collection, the development and implementation of joint projects, exchange of expertise and best practices in the fields which falls within its responsibility;

(v) encourage competition, innovation, efficiency and economical use of resources.

11. Meetings of the Board.- (1)The Chairman and the Members of the Board shall meet at least once a month, and at such times and places, and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings, including quorum for such meetings, as may be prescribed by the Board.

(2) The Chairman or any Member who has any direct or indirect interest in any matter coming up for consideration at a meeting of the Board shall, as soon as it comes to his knowledge, disclose the nature of interest to the Board.

(3) A disclosure made by the Chairman or a Member under sub-section (2) shall be recorded in the proceedings of the meeting, and the Chairman or such Member shall recuse from any deliberation or decision of the Board with respect to that matter or any matter connected therewith:

Provided that if the Chairman has to recuse himself from a proceeding of the Board, he shall designate a Member of the Board to discharge the functions of the Chairman for that matter.

Provided that if a Member has to recuse himself from a proceeding of the Board, the Central Government shall authorise a person to attend the meeting.

(4) All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the Member authorised by the Board in this behalf.

(5) No act or proceedings of the Board shall be questioned or invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Board.

12. Technical Working Groups.- (1) The Board shall, for the efficient discharge of its functions, constitute as many Technical Working Groups as it may consider necessary, which shall consist of independent technical experts, having the ability to maintain and exercise independent judgment in the discharge of their duties.

(2) Each Technical Working Group constituted under sub-rule (1) above, shall be headed by such Member of the Board designated by the Chairman, having regard to his special knowledge and experience in the relevant field.

(3) The Technical Working Group, for undertaking deliberations on the matters entrusted to it, shall invite the relevant industry and consumer representatives to participate in its deliberations.

(4) The number of technical Members and the procedure for constituting the technical working groups under sub-rule (1) above, shall be such as may be specified by regulations by the Board.

(5) The Technical Working Group constituted under sub-rule (1) above, may be entrusted with any of the following matters, namely:-

(a) transport infrastructure and safety, including road standards;

(b) traffic management;

(c) crash investigation and forensics;

(d) data collection and analytics;

(e) motor vehicle standards;

(f) driving skill testing;

(g) development of technology, its use and testing standards for checking driving of motor vehicles under the influence of alcohol or intoxicating drugs or over speeding;

(h) inspection and certification of vehicles already in use;

(i) vehicle fuel quality;

(j) vehicle noise standards;

(k) third party insurance relating to motor vehicles;

(l) any other matter that may be entrusted to such technical working group, as may be considered necessary by the Board.

(6) The Board may from time to time re-constitute the Technical Working Groups by increasing or decreasing the number of experts or by changing the subject matters entrusted to such Technical Working Groups.

(7) The Board shall provide the administrative, financial and research support for smooth functioning of the Technical Working Groups.

13. Power of Board to assign.- The Board may, by a general or special order made in writing, assign to any Member, officer of the Board or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in that order, such of its functions under this Act, as it may deem necessary.

14. Chairman, Members, etc. to be public servants.- The Chairman, Members and other officers and employees of the Board shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

[F.No. RT-16011/01/2015-RS (Pt.2)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

ANNEXURE

[See rule 4(7)]

[CERTIFICATE OF PHYSICAL FITNESS]

I hereby certify that I have examined Shri/Smt./Ms……..and that I have not discovered that he/she has any disease (communicable or otherwise), constitutional weakness or bodily infirmity, except …… I do not consider this a disqualification for his/her employment as Member/ Chairman in the National Road Safety Board.

Date…….

Signature of candidate

Signature:

Designation:

(Civil Surgeon/District Medical Officer

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.09.07 12:54:22 +05'30'